न्यायालय तहसीलदार, अजमेर

रिमाण्ड प्रकरण सं0 12/2007

(1) श्री रामकिशन शर्मा पुत्र श्री राधा किशन शर्मा जाति ब्राह्म्ण निवासी मकान नं0 379/12 राजेन्द्रपुरा, हाथीभाटा, अजमेर।

(2) श्री केनिथ बेन्जामिन पुत्र श्री एच.एस. बेन्जामिन निवासी केसर विला, मकान नं0 1020/1, क्रिश्चन गंज, अजमेर।

...अपीलान्ट

बनाम

(1) श्री रामेश्वरलाल शर्मा पुत्र रामस्वरूप शर्मा जाति ब्राह्म्ण निवासी मकान न0 22 अलवर हाऊस, कुन्दन नगर, अजमेर।

(2) श्रीमती कैलाश कंवर पत्नी रघुवीर सिंह राजपूत शेखावत, निवासी अलवर गेट, अजमेर।

...रेस्पोडेन्ट

अपील निर्णय विरूद्ध भू–प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर दिनांक 16.04.2001

उपस्थित:–

1. श्री ....अभिभाषक (अपीलान्ट)
2. श्री ....अभिभाषक (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय

दिनांक:– 28/7/2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है–

भू–प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर ने अपने पत्र क्रमांक फा/कोर्ट/भूप्रअ/अज/05/839 दिनांक 18.03.2006 के द्वारा श्रीमान् भू–प्रबन्ध आयुक्त–राजस्थान, जयपुर द्वारा अपील सख्या 46/01 उनवान रामकिशन शर्मा वगैरह बनाम रामेश्वरलाल शर्मा वगैरह में पारित निर्णय दिनाक 27.02.2006 की प्रति संलग्न कर प्रकरण को नियमानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया। इस क्रम में परिवाद दर्ज कर सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये।

ग्राम नौसर तहसील व जिला अजमेर के विवादित आराजी खसरा न0 380, 381 व 382 जिसके हाल ख0न0 541 रकबा 02–10–10 बीघा का मूल खातेदार जोरा पुत्र नसीबा कौम चीता था। जिससे अपीलान्ट संख्या 1 रामकिशन शर्मा पुत्र राधा किशन शर्मा ने प्रश्नगत आराजी की 1/2 हिस्सा आराजी रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा को जरिये रजिस्टर्ड बैनामे दिनांक 15.10.74 से तथा अपीलान्ट संख्या 2 केनिथ बेन्जामिन पुत्र एच.एस. बेन्जामिन ने शेष 1/2 हिस्सा की आराजी को जरिये रजिस्टर्ड बैनामे दिनांक 14.10.74 से क्रय की थी। इसी प्रश्नगत आराजी` ख0न0 541 रकबा 02–10–10 बीघा के मूल खातेदार जोरा पुत्र नसीबा कौम चीता के

तहसीलदार, अजमेर

Scanned with CamScanner

फौत होने पर उसके पुत्र बालू ने रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 को जरिये रजिस्टर्ड बैनामे से दिनांक 20.09.89 को बेच दी और इस आराजी का नामान्तरकरण संख्या 05 दिनांक 30.11.89 को सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर ने तस्दीक कर दिया।

अपीलान्ट को रेस्पोडेंट के हक में किये गये नामा0 की जानकारी इस भूमि के दीवानी अदालत में चल रहे मुकदमें के दौरान दिनांक 02.04.91 को हुई और दिनांक 10.05.91 को अधिनस्थ न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी , अजमेर के यहां नामा0 स0 5 दिनांक 30.11.89 के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत की जिसे भू–प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर ने आदेश दिनांक 16.04.01 के द्वारा खारिज कर दिया। जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट ने द्वितीय अपील माननीय न्यायालय श्रीमान् भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान–जयपुर में अपील संख्या 46/1 बउनवान रामकिशन शर्मा वगैरह बनाम रामेश्वरलाल शर्मा प्रस्तुत की एवं माननीय न्यायालय ने उक्त प्रकरण में दिनांक 27.02.2006 को निर्णय पारित कर भू–प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर का आदेश दिनांक 16.04.01 व सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर द्वारा तस्दीक नामा0 स0 05 दिनांक 30.1189 को निरस्त कर प्रकरण उभय पक्ष को सुनकर विरतृत जांच कर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु भू–प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर को प्रति प्रेषित किया।

भू–प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर ने उक्त प्रकरण अपने पत्र कमांक फा/कोर्ट/भूप्रअ/अज/05/839 दिनांक 18.03.2006 से नियमानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु इस न्यायालय को प्रेषित किया। जिसे नियमानुसार दर्ज किया जाकर सम्बन्धित पक्षकारान को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया।

अपिलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ, रेस्पोडेंट्र की ओर अभिभाषक श्री राजेन्द्र उपस्थित होते रहे। दिनांक 25.02.2010 को अभिभाषक रेस्पोडेंट ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर की निगरानी प्रकरण संख्या 6478/2006 के निर्णय दिनांक 13.03.2007 की प्रति प्रस्तुत कर प्रकरण निरस्त किये जाने का निवेदन किया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर की निगरानी प्रकरण संख्या 6478/2006 उनवान कैलाश कंवर पत्नी रघुवीर सिंह शेखावत बनाम केनिथ बैंजामिन वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 13.03.2007 के द्वारा श्रीमान् भू–प्रबन्ध आयुक्त–राजस्थान, जयपुर के अपील संख्या 46/01 उनवान रामकिशन शर्मा वगैरह बनाम रामेश्वरलाल शर्मा वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 27.02.2006 को निरस्त किया है।

इस सम्बन्ध में पटवारी हल्का चौरसियावास से रिपोर्ट प्राप्त की गई । पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 04.03.2020 के अनुसार ग्राम नौसर के वर्किंग ख0न0 541 रकबा 02–10–10 बीघा का हाल ख0न0 473 रकबा 0.12 है0 व 478 रकबा 0.29 है बने है। ग्राम नौसर की हाल जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019 से स्थाई) के खाता संख्या 207 में अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है एवं मौके पर उक्त खसरा नम्बरों में मकानात व सडक बने हुए है। घनी आबादी बसी हुई है।

तहसीलदार, अजमेर

Scanned with CamScanner

रिपोर्ट पटवारी हल्का चौरसियावास व माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर की निगरानी प्रकरण संख्या 6478/2006 उनवान कैलाश कंवर पत्नी रघुवीर सिंह शेखावत बनाम केनिथ बैंजामिन वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 13.03.2007 के द्वारा श्रीमान् भू–प्रबन्ध आयुक्त–राजस्थान, जयपुर के अपील संख्या 46/01 उनवान रामकिशन शर्मा वगैरह बनाम रामेश्वरलाल शर्मा वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 27.02.2006 को निरस्त किये जाने के कारण विचाराधीन प्रकरण सारहीन रह जाता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को आगे चलाया जाना अनुचित होगा।

अतः प्रकरण सारहीन होने से इसी स्तर पर अपीलान्ट की अपील को खारिज किया जाता है।

आदेश सरे इजलास आज दिनांक 28.2.2020 को सुनाया गया।

(प्रीति चौहान)
तहसीलदार, अजमेर

तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट अजमेर

Scanned with CamScanner